

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 289 सन 2021

अनवान :-

1. रामेती पुत्री बगडावतराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी चक 16 एमडी मुंडा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सावित्री देवी पुत्री बगडावतराम पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी चक 16 एमडी मुंडा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. विध्या देवी पुत्री बगडावतराम पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी चक 16 एमडी मुंडा तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. बाला पुत्री बगडावतराम पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी सिसवाल तहसील व जिला हिसार।
5. मोनिका पुत्र बगडावतराम पत्नी प्रीतम जाति जाट सिसवाल तहसील व जिला हिसार।
6. विमला पुत्री बगडावतराम पत्नी उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी हिसार तहसील व जिला हिसार।

वादीगण

बनाम

1. बगडावतराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 06/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढीलकी जाटान के खाता संख्या 71/84 की कुल 1.4330 हैक , व खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970 हैक में से 1033/15597 हिस्सा, व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 49/48 की कुल 1.8580 हैक व रोही मौजा चक 11 बरानी के खाता संख्या 227/219 की कुल 22.2640 हैक में से सयुक्त तोर से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भैराराम वल्द आसाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भैराराम वल्द आसाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भैराराम वल्द आसाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है और काफी वृद्ध हो चुका है भूमि काश्त करने में असमर्थ है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्से की भूमि को अपनी पुत्रीयों वादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे

 उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भैराराम वल्द आसाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी पुत्रीयों वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 71/84 की कुल 1.4330हैक , व खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक में से 1033/15597 हिस्सा, व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 49/48 की कुल 1.8580हैक व रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 227/219 की कुल 22.2640हैक में से सयुक्त तोर से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भैराराम वल्द आसाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भैराराम वल्द आसाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।


वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भैराराम वल्द आसाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है और काफी वृद्ध हो चुका है भूमि काशत करने में असमर्थ है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्से की भूमि को अपनी पुत्रीयों वादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 71/84 की कुल 1.4330हैक , व खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक में से 1033/15597 हिस्सा, व रोही मौजा चक 9

 अधिकारी
बोहर

जीजीएम के खाता संख्या 49/48 की कुल 1.8580 हैक व रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 227/219 की कुल 22.2640 हैक में से सयुक्त तोर से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


पर्चा खतौनी एवं जमाबन्दीयों के अनुसार वाद भूमि भैराराम वल्द आसाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भैराराम वल्द आसाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा भैराराम वल्द आसाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 71/84 की कुल 1.4330 हैक , व खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970 हैक में से 1033/15597 हिस्सा, व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 49/48 की कुल 1.8580 हैक व रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 227/219 की कुल 22.2640 हैक में से सयुक्त तोर से 1/12 हिस्सा व खाता संख्या 300/290 की कुल 0.2530 हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
बोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामेती पुत्री बगडावतराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी चक 16 एमडी मुंडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सावित्री देवी पुत्री बगडावतराम पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी चक 16 एमडी मुंडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. विध्या देवी पुत्री बगडावतराम पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी चक 16 एमडी मुंडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बाला पुत्री बगडावतराम पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी सिसवाल तहसील व जिला हिसार।
5. मोनिका पुत्र बगडावतराम पत्नी प्रीतम जाति जाट सिसवाल तहसील व जिला हिसार।
6. विमला पुत्री बगडावतराम पत्नी उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी हिसार तहसील व जिला हिसार।

वादीगण

बनाम

1. बगडावतराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 289 सन 2021 निर्णय दिनांक- 06/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 71/84 की कुल 1.4330हैक्, व खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक् में से 1033/15597 हिस्सा, व रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 49/48 की कुल 1.8580हैक् व रोही मौजा चक 11 बारासी के खाता संख्या 227/219 की कुल 22.2640हैक् में से सयुक्त तोर से 1/12 हिस्सा व खाता संख्या 300/290 की कुल 0.2530हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)